उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग- 4

<u>अधिसूचना</u>

प्रकीर्ण

संख्या-1/2026/151/आयोग/47/का-4-2023/15/19/18

लखनऊः दिनांकः 29 अक्टूबर, 2025

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं:-

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती (स्क्रीनिंग परीक्षा) नियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना	**1-(एक) -** यह नियमावली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती (स्क्रीनिंग परीक्षा) नियमावली, 2025 कही जायेगी। **(दो) -** यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। **(तीन) -** यह स्क्रीनिंग परीक्षा एवं साक्षात्कार दोनों के आधार पर आयोग के माध्यम से सीधे चयन द्वारा की गयी समस्त भर्तियों पर लागू होगी।
अध्यारोही प्रभाव	2- यह नियमावली किसी अन्य नियमावली या आदेशों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रभावी होगी।
परिभाषाएं	3- जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में: (क) "आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है; (ख) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है; (ग) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है; (घ)- "पद" का तात्पर्य किसी राजपत्रित पद अथवा समूह 'ख' के पदों से है, जिसके लिए चयन केवल आयोग के माध्यम से साक्षात्कार द्वारा किया जाए; (ड.)- "सेवा नियमावली" का तात्पर्य सेवा को शासित करने वाले नियमों और शासनादेशों से है तथा इसमें पद के लिये भर्ती की रीति विहित करने वाले नियम सम्मिलित हैं;

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

https://shasanadesh.up.gov.in

	(च)- "स्क्रीनिंग परीक्षा" का तात्पर्य साक्षात्कार में प्रवेश के लिये उपयुक्त अभ्यर्थियों का पता लगाने के प्रयोजन से आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली स्क्रीनिंग परीक्षा से है; (छ)- "सीधी भर्ती" का तात्पर्य आयोग द्वारा केवल साक्षात्कार के माध्यम से की जाने वाली भर्ती से है; (ज)- "उपयुक्त अभ्यर्थियों" का तात्पर्य ऐसे अभ्यर्थी से है जो स्क्रीनिंग परीक्षा में आयोग द्वारा यथा नियत की गयी न्यूनतम अंक प्राप्त करें, जिससे वह यथास्थिति, साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिये समर्थ हो सके; (झ)- "स्क्रीनिंग परीक्षा" या "साक्षात्कार" का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावली और शासनादेशों के अनुसार स्क्रीनिंग परीक्षा या साक्षात्कार से है।
स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन	4-(क) सीधी भर्ती से संबंधित सुसंगत सेवा नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी अन्य बात के होते हुए भी, आयोग, साक्षात्कार के लिये प्रवेश हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित कर सकता है। (ख) जहां स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जानी है वहॉ केवल ऐसे अभ्यर्थी, जो स्क्रीनिंग परीक्षा में अर्ह हों, आयोग के मानक के अनुसार साक्षात्कार के लिये हकदार होंगे। (ग) अन्तिम योग्यता क्रम स्क्रीनिंग परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक और साक्षात्कार में 25 प्रतिशत अंक जोड़कर योग्यता अवधारित किया जायेगा। (घ) स्क्रीनिंग परीक्षा दो घंटे की अवधि का एक प्रश्नपत्र होगा जिसमें एक भाग सामान्य ज्ञान/सामान्य अध्ययन का होगा तथा अन्य भाग पद की अनिवार्य अर्हता में उल्लिखित विषयों से संबंधित होगा जिसमें एक विषय अभ्यर्थी द्वारा चुना गया हो। स्क्रीनिंग परीक्षा की परीक्षायोजना और पाठ्यक्रम आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार पद की अनिवार्य अर्हता के संबंध में तैयार किया जायेगा। (ड़) प्रश्न-पत्र स्क्रीनिंग परीक्षा के लिये अनुज्ञात भाषा में बनाये जायेंगे और ऐसे मामलों में, जहां साक्षात्कार द्वारा चयन सेवा नियमावली और शासनादेशों में विहित हो, वहां अंग्रेजी और हिन्दी में बनायें जायेगें।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

	(च) स्क्रीनिंग परीक्षा ऐसे स्थानों पर, दिनांक को और समय पर आयोजित की जायेगी जैसा आयोग द्वारा नियत किया गया हो।
सीधी भर्ती हेतु अन्य निबंधन एवं शर्तें अप्रभावित रहना	5- नियम-4 के उपबंधों के अध्यधीन, सुसंगत सेवा नियमावली में अन्तर्विष्ट अन्य उपबंध अप्रभावित रहेंगी।
व्यावृत्ति	6- इस नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, इस नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक को लंबित चयन सुसंगत सेवा नियमावली और शासनादेशों के अनुसार जारी रखा जायेगा और समाप्त किया जायेगा मानो यह नियमावली प्रवृत्त न हुई हो।

आज्ञा से,
एम0 देवराज
प्रमुख सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।